भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1460
(दिनांक 12.12.2023 को उत्तर देने के लिए)

फर्जी खबरों की ग्राह्यता

1460. श्री संजय काका पाटील:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फर्जी खबरें एक बड़ी समस्या बन गई है जिसके कई नकारात्मक परिणाम हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन प्रमुख ऐप/न्यूज हाउस के किसी प्रकार के अध्ययन का आदेश दिया है जो डिजिटल सूचना का प्रसारण करते हैं ताकि फर्जी खबरों के प्रसार में उनके योगदान का पता लगाया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार फर्जी खबरों के प्रसार को नहीं रोकने वाले संगठनों पर जुर्माना लगाने का है, जैसा कि जर्मनी में है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा नागरिकों के बीच मीडिया संबंधी साक्षरता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि जनता में फर्जी खबरों की ग्राह्यता को कम किया जा सके?

उत्तर
सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (छ): सरकार के पास विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों पर फर्जी खबरों से निपटने के लिए सांविधिक और संस्थागत तंत्र हैं।

प्रिंट मीडिया के लिए, समाचारपत्रों को भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) द्वारा बनाए गए "पत्रकारिता के आचरण के मानक" का पालन करना आवश्यक है जो अन्य बातों के साथ-साथ फर्जी/अपमानजनक/भ्रामक समाचारों के प्रकाशन को रोकता है। प्रेस परिषद अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, परिषद मानकों के कथित उल्लंघन की जांच करती है, और अखबार, संपादकों, पत्रकारों आदि को चेतावनी दे सकती है, उनकी भर्त्सना या निंदा कर सकती है, जैसा भी मामला हो।

टीवी चैनलों को केबल टेलिविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता का पालन करना आवश्यक है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि कोई भी ऐसी सामग्री प्रसारित नहीं की जाए जिसमें अश्लील, अपमानजनक, जानबूझकर, झूठी और विचारोत्तेजक बातें और अर्धसत्य शामिल हों। केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम, 1994, वर्ष 2021 में यथा संशोधित, संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान करते हैं। जहां कहीं भी संहिता का उल्लंघन पाया जाता है, वहां उचित कार्रवाई की जाती है।

डिजिटल समाचार प्रकाशकों को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत प्रदान की गई आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है। ये नियम इन संहिताओं से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक तीन स्तरीय तंत्र का भी प्रावधान करते हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत पत्र सूचना कार्यालय द्वारा नवंबर, 2019 में एक फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) की स्थापना की गई है, जो केंद्र सरकार से संबंधित फर्जी खबरों का स्वतः और इसके पोर्टल पर या ई-मेल और सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिकों द्वारा भेजे गए प्रश्नों के माध्यम से संज्ञान लेती है। यह यूनिट केंद्र सरकार से संबंधित सही और अद्यतन सूचना के साथ प्रासंगिक प्रश्नों का उत्तर देती है और फर्जी खबरों का पर्दाफाश करती है।

*****